



समझः— माननीय राज्य प्रमुख मध्यप्रदेश राज्य लिपर केम्ब उच्चैन

निगरानी प्रकरण क्र /08-09

R.M. 2-609-I/69
लूप सिंह पिता भवानी सिंह राज्यपूत
ध्या खेती, निवासी ग्राम ढाबला
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर

विलद

अधिक

- 01- भवरलाल पिता मोहाजी जाति गायरी, ध्या खेती,
02- हरिदास पिता मधुरादास जाति खेटागी, ध्या खेती,
दोनों निवासी ग्राम ढाबला तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर—अनावेदकाण

निगरानी प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश राज्य 1959

विलद अधिक 13-03-09 द्वितीय अपील क्रमांक

206/06-07 हमेरलाल बनाम लूप सिंह अधिक पारित

द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उच्चैन

— — — — —

अधिक की ओर से निगरानी प्रार्थनापत्र निम्नवत्त

प्रस्तुत है:-

1। यह कि अनावेदक क्र01 ने अनावेदक क्र02 हरिदास से अवैधानिक रूप से एक विक्रयपत्र सर्वे नं0 935/। रक्षा ०-937 हेठले भूमि का बरवा लिया । इसके आधार पर तहसील न्यायालय में छठ नामांतरण का अधिकान दिया गया । जिसमें अधिक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार महोदय व अनुचिभागीय अधिकारी महोदय मल्हारगढ़ द्वारा अधिक की आपत्ति विधिवत होने से अनावेदक भवरलाल का नामांतरण अधिदनपत्र तहसीलदार महोदय द्वारा निरस्त कर दिया । उसकी अपील भी साड़ीज्ञो महोदय द्वारा निरस्त कर दी गई ।

2। यह कि साड़ीज्ञो महोदय के अधिक के विलद अनावेदक भवरलाल द्वारा अपर आयुक्त महोदय को द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी जो प्रश्नगत अधिक द्वारा स्वीकार कर ली गई , और पुनः गुणदोष के आधार पर अधिक पारित करने के लिये तहसीलदार महोदय को निर्दिष्ट किया गया । इसअधिक से अस्तुष्ट होकर यह रिवीजन प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

१५८

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-609/एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्राकारी एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 24/05/2010 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरुचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p style="text-align: right;">(महेश घन्न चौधरी)</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>